

कार्यालय कलेक्टर रायपुर

ज्ञापन

कमॉक 897/ भू अर्जन / 2017 / 578
प्रति,

रायपुर दिनांक 26.2017
26

- 1:- प्रभारी अधिकारी (राजरात शाखा)
जिला कार्यालय रायपुर
- 2:- अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) आरंग
- 3:- प्रभारी अधिकारी (N.I.C)जिला कार्यालय रायपुर
- 4:- तहसीलदार आरंग

विषय :- लोक प्रयोजन हेतु छतौना-दरबा-कुटेसर- बडगॉव-कुण्डा- नारा लखौली चौडीकरण हेतु सामाजिक सामाघात प्रबंधन- रिपोर्ट का प्रकाशन के संबंध में ।

-00000-

भूमि अर्जन पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार(सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई नियम 2016 के तहत गठित दल द्वारा लोक हित तहत गठित दल द्वारा छतौना- दरबा- कुटेसर- बडगॉव- कुण्डा- नारा- लखौली मार्ग चौडीकरण हेतु ग्राम दरबा का कुल खसरा नम्बर 8 का कुल रकबा 0.4902 हे.भू अर्जन के संबंध में सामाजिक सामाघात प्रबंधन/ रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, जिसकी प्रति सलंगन है। जिसका प्रकाशन छ. ग. शासन की वेबसाइट ग्राम / चार्जों में सहजदृश्य स्थानों पर चस्पा कर प्रकाशित करने, मुनादी कराने एवं जिला कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदार कार्यालय पर प्रकाशन किया जाना है।

अतः अपने क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक समाघात प्रबंधन/ रिपोर्ट का प्रकाशन करा जाकर उसकी एक प्रति भेजना सुनिश्चित किया जावे।
सलंगन- उपरोक्तानुसार

कलेक्टर,

रायपुर(छ.ग.)

सामाजिक सामाघात प्रबंधन / रिपोर्ट

रायपुर कलेक्टर के ज्ञापन क्रमांक 769/भू - अर्जन/2016, रायपुर दिनांक 29/07/2016 के अनुसार भूमि - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार सामाजिक सामाघात निर्धारण तथा जनसुनवाई अधिनियम 2016 के अंतर्गत, परियोजना और लोक प्रयोजन - छतौना - दरवा - कुटेंसर - कुण्डा - नारा - लखैली मार्ग का चौड़ी करण हेतु स्थान - ग्राम दरवा के 0.4902 हेक्टर निजी भूमि का भूमि अर्जन किया जाना है। परियोजना का कुल लागत रु. 2886.23 लाख है जिसके लिए समाघात - सामाजिक सामाघात दल का गठन किया गया है एवं भूमि अर्जन के अनुकूल्यो पर एवं कमी करने के उपाय पर विचार किया गया किन्तु भूमि अनुकूल्य नहीं पाया गये। जनसुनवाई तथा अन्य बैठकों द्वारा सामाजिक क्षति ज्ञात की गई। कुल अर्जित किए जाने वाली भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	खसरा नं.	भू स्वामी	कुल रकबा (हे.)	अर्जित हेतु रकबा (हे.)
1	484	श्री रामचंद, दीपक, बदल पिता मयाराम	0.03	0.004
2	486	श्री जनकराम, अर्जुन पिता भागवती लोहार	0.04	0.0062
3	489	श्री मति पुष्पा मंडल पति श्यामलाल मंडल	0.04	0.0068
4	176	श्री गोविंद प्रसाद पाण्डेय पिता अयोध्या प्रसाद पाण्डेय	0.90	0.052
5	518	श्री सुशील वर्मा पिता खेमलाल	0.68	0.0758
6	173	श्री रौनक तिवारी पिता सुरेन्द्र कुमार तिवारी	1.49	0.0792
7	525	प्रीति पिता सुरेन्द्र कुमार तिवारी	0.46	0.042
8	522/1	वैभव, विपुल, रश्मी पिता स्व. विनय कुमार	1.98	0.2232

भूमि - अर्जन के लिए अर्जित की गई भूमि प्रभावित व्यक्तियों के जीविका का आंशिक स्रोत है एवं भूमि भी आंशिक प्रभावित है। इस परियोजना से किसी भी प्रकार की सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षति नहीं हुई है, इस हेतु किसी प्रकार की सामाजिक सामाघात प्रबंधन की आवश्यकता नहीं है।

प्रभावित भूस्वामि जिसके जीविका आंशिक स्रोत को क्षति हुई है, जिनका आर्थिक सहयोग, उन्हें नियमानुसार भूमि - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार के तहत मुआवजा उपलब्ध कराया जाना है।

हरताक्षर
अध्यक्ष - श्री मति तिवारी (जनपद सदस्य) दरवा
जिला - रायपुर (छ.ग.)

हरताक्षर
सदस्य - श्री मंजु नमोत यादव
सदस्य - श्री प्रकाश कश्यप (महिला),
सदस्य - श्री विवेक शर्मा (दरवा)

हरताक्षर
सदस्य - श्री फैयाज हुसैन (पुरुष),
पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ (सेवा निरत नायाव तहसीलदार)

सदस्य - श्री सुमीत रावैर (पुरुष), गैर शासकीय सामाजिक वैज्ञानिक
(हेल्प एण्ड हेल्पर्स समिति)

हरताक्षर
सदस्य - श्री मनसाना (पुरुष), अनुविभागीय अधिकारी प्रा.या. सेवा रायपुर
(स्वास्थ्य डीक न डेने के कारण हस्तिगत में है)

हरताक्षर
नायब तहसीलदार
संयोजक, दूरस्थित